



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41471 वर्ष 2025

मोहम्मद नईम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शैलि गांगुली

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आज दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री शैलि गांगुली तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री याज्ञवल्क्य पाण्डेय को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक मोहम्मद नईम की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 679 वर्ष 2025, धारा 8/18, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना-सुभाष नगर, जनपद- बरेली में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक के कब्जे से 516 ग्राम अफीम बरामद किया जाना आरोपित है। बरामद किया गया मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वस्तुतः आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, अतः अपराध में उसके मिथ्या फँसाये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया है। रासायनिक विश्लेषक का कोई प्रतिवेदन अभिलेख पर नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा फँसाया गया है। वर्तमान प्रकरण में 14.08.2025 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक, जो 05.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा जिसका एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है, जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया कि विचारण से पूर्व की अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मादक पदार्थ की आपूर्ति करने में संलिप्त है, अतः आवेदक किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को दृष्टिगत रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर संभावित दण्ड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की युक्तियुक्त आशंका, जनसामान्य/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय की राय में जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **मोहम्मद नईम**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

1. आवेदक, अन्वेषण अथवा विचारण के दौरान साक्षियों को भयभीत अथवा दबाव में लाकर अभियोजन साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी स्थगन की मांग किए बिना विचारण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा और न ही कोई अपराध कारित करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। बन्धपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभूतियों की पहचान, हैसियत एवं निवास सम्बन्धी प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

13 जनवरी, 2026

दीपक/

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।